बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

-:: संकल्प ::-

सं०सं०-स०क०निग०-57/2026-...../जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पत्र ज्ञापांक-305, दिनांक-02.04.2026 द्वारा श्रीमती अनिता कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ठाकुरगंज-सह-प्रभारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

उक्त पत्र के साथ विशेष निगरानी इकाई पटना के पत्रांक-351, दिनांक-23.02.2026 एवं पत्रांक-353, दिनांक- 23.02.2026 प्रति संलग्न करते हुए सूचित किया गया कि श्रीमती अनिता कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ठाकुरगंज प्रभारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज के विरूद्ध शिकायतकर्ता, श्री नागेन्द्र कुमार, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कोचाधामन प्रभारी पोठिया से मो० 1000000/- रु० रिश्वत की मांग की गई, जिसपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 (संशोधित 2018) की धारा-7 के अंतर्गत प्राथमिकी कांड संख्या-08/2026 दिनांक-19.02.2026 दर्ज करते हुए दिनांक-20.02.2026 को शिकायतकर्ता, श्री नागेन्द्र कुमार, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कोचाधामन प्रभारी पोठिया से मो० 50000/- रू० रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2130 दिनांक-04.05.2026 द्वारा श्रीमती अनिता कुमारी को दिनांक-20.02.2026 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

विभागीय पत्रांक-2390 दिनांक-19.05.2026 के आलोक में श्री भोगेन्द्र नाथ झा, संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग एवं श्रीमती नसीमुस्सबाह नईय्यर, सांख्यिकी पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० निदेशालय के संयुक्त जॉच टीम द्वारा दिनांक-08.06.2026 एवं दिनांक-09.06.2026 को जिला प्रोग्राम कार्यालय, किशनगंज एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय, ठाकुरगंज का निरीक्षण कर पत्रांक-3067 दिनांक-17.06.2026 द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसके आलोक में श्रीमती अनिता के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक-3694, दिनांक-13.07.2026 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्रीमती कुमारी के पत्रांक-शून्य दिनांक-27.07.2026 द्वारा अपना लिखित अभिकथन विभाग को उपलब्ध कराया गया। उक्त लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उपवर्णित है।

अतः बिहार के राज्यपाल, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-16 के अंतर्गत श्रीमती अनिता कुमारी के विरुद्ध उक्त आरोपों की जाँच के लिए अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करते हैं तथा आदेश देते हैं कि उक्त नियमावली के नियम-17 में उपबंधित रीति से उनके विरुद्ध आरोपों की जाँच की जाय। आरोपों का विवरण जिसके संबंध में जांच किया जाना एवं संबंधित साक्ष्यों का विवरण संलग्न आरोप-पत्र में उल्लिखित है।

(2) बिहार के राज्यपाल, श्रीमती अनिता कुमारी के विरुद्ध इस अनुशासनिक कार्यवाही के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) तथा नियम-17(5) (क) एवं (ग) के अंतर्गत मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

(3) श्रीमती अनिता कुमारी से अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी (जांच पदाधिकारी) के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति की तारीख से दस कार्य दिवस के बाद विहित किसी भी समय या आगे अनाधिकृत दस दिनों के भीतर किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी (जांच पदाधिकारी) अनुमति दें, उपस्थित हो तथा अपने बचाव का लिखित अभिकथन प्रस्तुत करें।

(4) श्रीमती अनिता कुमारी को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कंडिका (3) में निर्धारित समयावधि में यदि अपने बचाव में वे अपना लिखित अभिकथन संचालन पदाधिकारी (जांच पदाधिकारी) को प्रस्तुत नहीं करते हैं अथवा उनके समक्ष स्वयं उपस्थित नहीं होते हैं अथवा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत नियमों का तथा नियमों के आलोक में निहित निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो संचालन पदाधिकारी (जांच पदाधिकारी) उनके विरुद्ध एक पक्षीय जांच कर सकते हैं।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति अनुलग्नकों (आरोप-पत्र एवं साक्ष्यों तथा सुसंगत अभिलेखों की मूलप्रति) सहित मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (जांच पदाधिकारी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

साथ ही इस संकल्प की एक-एक प्रति अनुलग्नकों (आरोप-पत्र एवं साक्ष्यों तथा सुसंगत अभिलेखों की प्रति) सहित उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी तथा श्रीमती अनिता कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ठाकुरगंज एवं प्रभारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज सम्प्रति निलंबित (निलंबन अवधि का मुख्यालय समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

मुख्य जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित करने के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

संयुक्त सचिव

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-57/2026- पटना-15 दिनांक :-

प्रतिलिपि :- (1) संकल्प में निर्दिष्ट आरोप-पत्र तथा साक्ष्यों की प्रति के साथ मुख्य जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संचालन पदाधिकारी (जांच पदाधिकारी) से अनुरोध है कि वे विभागीय कार्यवाही का संचालन तुरंत प्रारंभ कर दें तथा अविलंब जांच पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन 02 (दो) माह के अन्दर समर्पित करने की कृपा करें। कार्यवाही के अभिलेख में आदेश फलक (ऑर्डरशीट) संलग्न रहनी चाहिए।

(2) प्रतिलिपि:- श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग-सह-उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को आरोप-पत्र तथा साक्ष्यों की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी प्रसंगाधीन विभागीय कार्यवाही में सरकार का पक्ष रखेंगे।

(3) प्रतिलिपि:- श्रीमती अनिता कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ठाकुरगंज एवं प्रभारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज सम्प्रति निलंबित (निलंबन अवधि का मुख्यालय-समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना) को आरोप पत्र तथा साक्ष्यों की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

संयुक्त सचिव

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-57/2026- 5953 पटना-15 दिनांक :- 16.10.2026

निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०निग०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषाकार पदाधिकारी/अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज /माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/10/26

संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।